निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1940 (श0)
(सं0 पटना 991) पटना, मंगलवार, 20 नवम्बर 2018

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
20 नवम्बर 2018

एस० ओ० 273, दिनांक 20 नवम्बर 2018— बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।–

(1) यह नियमावली बिहार पेशा कर (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2.) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3.) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 में संशोधन।– बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :–

''3. निबंधन– (1) धारा 5 के अधीन निबंधन योग्य हरेक नियोजक, ऐसे अंचल प्रभारी को विहित प्रपत्र पी०टी०-I में निबंधन हेतु आवेदन दाखिल करेगा, जिनके क्षेत्राधिकार में नियोजक का कार्यालय अवस्थित हो। ऐसा आवेदन, नियोजक के निबंधन योग्य होने के 7(सात) दिनों के भीतर, वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेब–साईट पर इलेक्ट्रोनिक रीति से दाखिल किया जाएगा और इसके वाद विनिर्दिष्ट रीति से उक्त आवेदन पर प्रक्रिया की जाएगी :

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से व्यक्तियों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा ऐसा आवेदन नियमावली के प्रवृत्त होने के 30(तीस) दिनों की कलावधि के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(2) (क) निबंधन हेतु आवेदन दाखिल करने के पूर्व, प्रत्येक नियोजक, वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट पर प्रपत्र पी०टी०-I के भाग–क पर अपना कर–कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या मोबाईल संख्या और ई–मेल पता घोषित करेगा।

(ख) वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट द्वारा केन्दीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के डाटाबेस से कर–कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या का ऑन–लाईन विधिमान्य किया जाएगा।

(ग) खंड (क) के अधीन घोषित मोबाईल नंबर और ई–मेल पता का सत्यापन उन पर भेजे गए वन–टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) कर–कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या, मोबाईल नंबर और ई–मेल पता के सफल सत्यापनोपरान्त एक अस्थायी रेफरेन्स नम्बर जनित होगा और आवेदक के मोबाईल नम्बर और ई–मेल पता पर सम्प्रेषित होगा।

(ड.) खंड (घ) के अधीन जनित संदर्भ संख्या का उपयोग करते हुए आवेदक प्रपत्र पी०टी०-I के भाग–ख में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आवेदन दाखिल करेगा।

(च) खंड (ड.) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एक अभिस्वीकृति प्रेषित की जाएगी।

(3) (क) आवेदन संबंधित अंचल प्रभारी को अग्रसारित किया जाएगा, जो यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे हुए हैं, आवेदन दाखिल होने से एक कार्यदिवस अवधि के भीतर प्रपत्र पी०टी०-II में निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, यह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ख) आवेदन दाखिल होने से एक कार्य दिवस की अवधि के भीतर यदि अंचल प्रभारी कोई कार्रवाई करने में विफल होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि निबंधन हेतु दाखिल आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, प्रपत्र पी०टी०-II में निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र पर नियोजक को आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी और यह निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या (TAN) के पूर्व अंक ''10'' जोड़ी गई संख्या होगी :

परन्तु नियोजक को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या (TAN) आवंटित नहीं होने की दशा में, निबंधन संख्या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन उस नियोजक को आवंटित स्थायी लेखा संख्या (PAN) के पूर्व अंक ''10'' जोड़ी गई संख्या होगी।

(4) आवेदक को उसके अपने आवेदन में दिये गये ई–मेल पता पर निबंधन प्रमाण–पत्र भेजा जाएगा।

(5) अधिनियम के अधीन अंचल प्रभारी द्वारा प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा या इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इन उप–नियमों के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति 'नियोक्ता' से अभिप्रेत है यथास्थिति, ऐसी कम्पनी, फर्म, सोसाईटी, व्यक्तियों का समूह, अविभाज्य हिन्दु परिवार, निगमित निकाय, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम, जिसने, कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियुक्त किया हो।

(6) यदि कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन किसी एजेंसी को वेतन या मजदूरी के भुगतान करने का उत्तरदायी है, बिहार राज्य के बाहर का निवासी है, तो उप–नियम (1) के अधीन आवेदन बिहार राज्य में प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।''

3. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 4 में संशोधन– बिहार पेशा कर नियमावली 2011 के नियम 4 के उप–नियम (3) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''उप–नियम (2)'' के बाद शब्द एवं अंक ''एवं उप–नियम (3)'' अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के प्रपत्र पी०टी०-I को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''फारम – पी०टी०-I

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन हेतु आवेदन

प्रपत्र
(देखें नियम 3)

वाणिज्य–कर..का कार्यालय..अंचल
सेवा में,
....
....
मैं ....(पूरा नाम), पिता..(पूरा नाम)
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करता हूँ :–

भाग–क

(1)	कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या	
(2)	ई–मेल पता	
(3)	मोबाईल नम्बर	

भाग–ख

(1)	पूरा नाम –	
(2)	पता (मकान सं0 / दुकान सं0 / मोहल्ला / पोस्ट ऑफिस / थाना / प्रखंड / जिला इत्यादि का ब्योरा दें–	
(3)	स्थायी लेखा संख्या –	
(4)	फैक्स संख्या –	
(5)	कर दायित्व की तिथि –	
(6)	बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं0–	

मै एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टयाँ मेरी जानकारी में सही और पूर्ण है।

स्थान –...   आवेदक का हस्ताक्षर ....

दिनांक–...   पदनाम ....

आवेदन, व्यक्ति की दशा में स्वामी, अविभक्त हिन्दु परिवार की दशा में कर्त्ता, फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार, कंपनी या निगम की दशा में प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, समिति, क्लब, संस्था, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार की दशा में प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

5, बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के प्रपत्र पी०टी०-Iक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''**फारम** – पी०टी०-Iक

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 एवं 6(2) के अधीन नामांकन हेतु आवेदन

प्रपत्र

(देखें नियम 4)

वाणिज्य–कर..का कार्यालय..अंचल

सेवा में,

....

....

मैं ....(पूरा नाम), पिता..(पूरा नाम)

एतद् द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र देने हेतु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ :–

भाग–क

(1)	कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या	
(2)	ई–मेल पता	
(3)	मोबाईल नम्बर	

भाग–ख

(1)	पूरा नाम –	
(2)	पता (मकान सं0 / दुकान सं0 / मोहल्ला / पोस्ट ऑफिस / थाना / प्रखंड / जिला इत्यादि का ब्योरा दें–	
(3)	स्थायी लेखा संख्या –	
(4)	फैक्स संख्या –	
(5)	कर दायित्व की तिथि –	
(6)	बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं0–	
(7)	पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन की प्रकृति–	

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टयाँ मेरी जानकारी में सही और पूर्ण है।

स्थान –.. आवेदक का हस्ताक्षर ....

दिनांक–.. पदनाम ....

[(सं०सं०–बिक्री–कर / संशोधन–10 / 2015–5079)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

20 नवम्बर 2018

एस0 ओ0 273 दिनांक 20 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / संशोधन–10 / 2015–5079)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 20th November 2018

S.O. 273 , Date 20th November, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employment Act, 2011 (Bihar Act 10, 2011) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Professional Tax Rules, 2011:—

1. Short title, extent and commencement—

(1) These Rules may be called the Professional Tax (Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to whole state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 – Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following :-

"3.Registration - (1) Every employer required to be registered by Section 5 shall apply, in Form PT-I, for registration under the Act to the Incharge of the circle within whose jurisdiction the office of the employer is situated. Such application shall be submitted within seven days of the employer being required to be registered and shall be filed in electronic manner on the official web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for registration by an employer who has employed persons before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

(2) (a) Every employer shall, before applying for registration, declare his Tax Deduction and Collection Account Number, mobile number, email address, in **Part A** of **FORM PT-I** on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) The Tax Deduction and Collection Account Number shall be validated online by the official website of the Commercial Taxes Department from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(c) The mobile number and e-mail address declared under clause (a) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number and to the said e-mail address.

(d) On successful verification of the Tax Deduction and Collection Account Number, mobile number and email address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.

(e) Using the reference number generated under clause (d), the applicant shall electronically submit an application in **Part B** of **FORM PT-I**.

(f) On receipt of an application under clause (e), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant.

(3) (a) The application shall be forwarded to the Incharge of the concerned circle, who after verifying that all the column of the application have been properly filled in, shall, within a period of one working day from the date of submission of the application, approve the grant of registration in Form PT-II and a certificate of registration shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) If the Incharge of the circle fails to take any action, within a period of one working day from the date of submission of the application, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved and a certificate of registration in Form PT-II shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(c) The certificate specified in clause (a) and (b) of sub-rule (3) shall bear the registration number allotted to the employer and the said registration number shall be the 'Tax Deduction and Collection Account Number,' allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10" :

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10".

(4) The Certificate of Registration shall be sent to the applicant on e-mail address furnished by him in his application.

(5) Every certificate of registration shall be duly signed or verified through electronic verification code by the circle Incharge under the Act.

Explanation— For the purposes of these sub-rules, the expression 'employer' shall mean the Company, firm, society, association of person, undivided Hindu family, body corporate, board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

(6) In case the person responsible for paying any salary or wages to an assessee under the Act is resident outside the State of Bihar, the application under sub-rule (1) shall be signed by the person Incharge of the management in the state of Bihar.

3. Amendment in Rule 4 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011-

The words and figure "and sub-rule (3)" shall be inserted after the words and figures "sub-rule (2)" used in sub-rule (3) of Rule 4 of Bihar Professional Tax Rules, 2011.

4. Form PT-I of Bihar Profession Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following:—

"Form PT- I

Application for registration under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(See Rule 3)

Office of the ……………….. of Commercial Taxes …………………………….Circle.

To,

The …………………………

………………………Circle.

I ……………………………………(full Name), Son of ………………………(full Name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose-

Part – A

(1)	Tax Deduction and collection Account Number	
(2)	Email Address :	
(3)	Mobile Number :	

Part –B

(1)	Full Name : -	
(2)	Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/Block/ District etc.) :-	
(3)	PAN Number :-	
(4)	Fax Number :-	
(5)	Date of Tax liability :-	
(6)	Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number) :-	

I do hereby declare that the particular furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place…………………………… Signature of Applicant …………………….………

Date …………………………. Designation ………………………………………..

The application shall be signed by the proprietor of the business if an individual, by the karta, if an undivided Hindu family; by an authorized partner in the case of a firm; by the Managing Director, Principal Executive Officer or the authorized representative in the case of a company or corporation, by the Principal Executive Officer incharge in the case of a society, club, association, department of Government of local authority.

5. Form PT-IA of Bihar Profession Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following:-

"Form PT- IA

Application for enrollment under second proviso to Section 5 and Section 6(2) of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(See Rule 4)

Office of the ……………….. of Commercial Taxes …………………………….Circle.

To,

The …………………………

………………………Circle.

I …………………………………….(full Name), Son of ……………………….(full Name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose-

Part – A

(1)	Tax Deduction and collection Account Number	
(2)	Email Address :	
(3)	Mobile Number :	

Part –B

(1)	Full Name : -	
(2)	Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/Block/ District etc.) :-	
(3)	PAN Number :-	
(4)	Fax Number :-	
(5)	Date of Tax liability :-	
(6)	Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number) :-	
(7)	Nature of Profession, Trade, Calling or Employment-	

I do hereby declare that the particular furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief

Place…………………………… Signature of Applicant …………………….………

Date …………………………. Designation ………………………………………..

[(File No. Bikri kar/Sansodhan -10/2015-5079)]
By order of the Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 991-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in